रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2000/वैशाख 11, 1922

No. 301] NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2000/VAISAKHA 11, 1922

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2000

संख्या-13 (आर ई-2000)/1997—2002

का. आ. 424(अ).—निर्यात और आयत नीति, 1997—2002 (31-3-2000 तक के संशोधनों सहित) के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 (31-3-2000 तक के संशोधनों सहित) में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :

1. पैरा 13.5 के तीसरे वाक्य को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

''निर्यात संवर्धन परिषदों को व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने तथा बिक्री टीमों/शिष्ट मंडलों को विदेश भेजने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी।''

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/94/180/234/एएम 01/नीति-4]

एन.एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2000

No. 13 (RE-2000)/1997—2002

S.O. 424(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) read with paragraph 1.3 of the Export and Import Policy, 1997—2002 (incorporating amendment made upto 31-3-2000), the Central Government hereby makes following amendments in the Export and Import Policy, 1997—2002 (incorporating amendment upto 31-3-2000).

1. The 3rd sentence of paragraph 13.5 shall be amended to read as under :—

"The EPCs shall not be required to obtain the approval of the Central Government for participation in Trade Fairs, exhibitions etc. and for sending sales teams/delegations abroad."

This issues in public interest.

[F.No. 01/94/180/234/AM01/Pol. IV]

N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

1244 GI/2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064